न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—214/2018/223 (2018/00214)

1. रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल, जाति जाट, निवासी फतेहगढ़ मुराईला, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. सुखदेव पुत्र पन्ना, जाति खाती, निवासी ग्राम फतेहगढ़ मुराईला, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।

असल रेस्पोडेंटस

3. रामकरण पुत्र मांगीलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   3/1— श्रीमती सुन्दर बैवा रामकरण,
   3/2— सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामकरण,
   3/3— बलराम पुत्र रामकरण,
   3/4— संगीतादेवी पुत्री रामकरण,
4. घासीराम पुत्र मांगीलाल,
5. सूरजकरण पुत्र मांगीलाल,
6. जगदीश पुत्र मांगीलाल,

   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम फतेहगढ़ मुराईला, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 27.6.2018 अंतर्गत वाद संख्या 04/2015.

उपस्थितः—

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री सूरजसिंह चौहान, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री दिनेश साहू, वकील रेस्पो0 संख्या 3/1 से 3/4, 5 व 6.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 3.12.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी एवं रेस्पो0 संख्या 2 व तरतीबी रेस्पो0 के पेश कर कथन किया कि वाके ग्राम फतेहगढ़ तहसील मसूदा में स्थित खसरा संख्या 144, 305, 306, 307,

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

308, 309, 310, 311 व 312 अवस्थित है जिसके वादी खातेदार काश्तकार पूर्वजों के समय से चले आ रहे है तथा वादी का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजियात से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का कोई संबधं व सरोकार नहीं है । प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की नियत खराब हो गयी है तथा वादी की आराजियात पर कब्जा काश्त करने पर आमादा है । प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने वाद प्रस्तुति के बाद दिनांक 10.4.2018 को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 144 में जबरन लाठी व बाहुबल से वादी की खातेदारी भूमि पर ट्रेक्टर लाते हुए प्रवेश किया एवं उपरोक्त भूमियों पर जबरन ट्रेक्टर चलाकर कब्जा करते हुए अवैध अतिक्रमण कर लिया है । उक्त अवैध अतिक्रमण को हटवाया जाकर खाली कब्जा वादी को दिलाया जावे । यह भी घोषित किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व उनके परिवारजन को वादी की आराजियात पर जबरन कब्जा नहीं करे एवं कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.6.2018 को वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.6.2018 पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज किया कि जब वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष जो वादपत्र पेश किया था वह अंतर्गत धारा 88, 188 बाबत् प्रस्तुत किया था जो उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया था और खसरा संख्या 144 लगायत 312 बाबत् पेश किया था । वर्तमान अपीलांट ने वादी के पिता पन्नालाल से वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 144 जिसके साबिक खसरा नंबर 66 थे, को दिनांक 13.5.1974 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया था तथा खसर नंबर 305 लगायत 312 से वर्तमान अपीलांट का कोई संबंध नहीं है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया तथा प्रतिवादी का जवाब बंद कर बिना तनकियात कायम किये एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट का जवाब बंद कर दिया जिसके पश्चात् दिनांक 20.4.2018 को वादी ने आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर वादपत्र में संशोधन चाहा जिस पर अधी0न्याया0 ने उनका प्रार्थना पत्र उसी दिन स्वीकार कर संशोधित वादपत्र को किरार्ड पर लिया जबकि प्रतिवादी/अपीलांट का जवाब केवल मात्र वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 व 188 बाबत् ही बंद किया गया था । इस प्रकार अधी0न्याया0 ने वादी द्वारा संशोधित वादपत्र धारा 183 प्रस्तुत किया था उसका जवाब प्रस्तुत करने का प्रतिवादी को अवसर नहीं दिया गया था । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धार 12 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया था कि वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 66 जिसके वादपत्र में अंकित हाल खसरा नंबर 144 है, में अंकित आराजी को वर्तमान अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी परन्तु सहवन से उक्त विक्रय पत्र का अमल राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के पक्ष में नहीं हो सका । भू–राजस्व रिकार्ड विक्रेता पन्नालाल पुत्र भूरा जाति खाती के नाम चली आ रही है जिसकी मृत्यु उपरांत वादी के नाम अंकित चली आ रही है जिसका वादी नाजायज फायदा उठाने की नियत

से यह वाद पेश किया है । इसी आराजी बाबत् पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 एवं उसके भाई सोहनलाल द्वारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय में अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 के विरूद्ध वादपत्र संख्या 215/1994 बउनवान सोहन बनाम घासीराम अंतर्गत धारा 183 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश किया गया था जो दिनांक 24.4.1995 को अदम हाजरी में खारिज हो गया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी द्वारा आज दिवस तक कोई चाराजोही नहीं की गई है । इस कारण अब वादी अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखते है । बेदखली के वाद की 12 वर्ष मियाद है जबकि वादी ने 23 वर्ष उपरांत बेदखली का वाद पेश किया है जो भारी मियाद बाहर पेश किया गया है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर वाद स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात के खातेदार पूर्व में वादी के पिता पन्ना थे तथा उनकी मृत्यु उपरांत वादी/रेस्पो0 संख्या 1 होकर विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी ने विवादित आराजियात पर कब्जे काश्त के संबंध में खसरा गिरदावरियां पेश की है जिनसे विवादित आराजियात पर कब्जे काश्त की पुष्टि होती है । विवादित आराजियात कुल किता 9 कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वांसी भूमियां एस0बी0आई0 बैंक शाखा बिजयनगर के नाम दर्ज रखी हुई है । जहां तक धारा 183 के तहत वाद मियाद बाहर पेश करने का प्रश्न है कि चूंकि अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा दौराने वाद विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया था इस कारण वाद में संशोधन करवाकर धारा 183 राज0काश्त0अधि0 का अनुतोष चाहा गया है जो मियाद बाहर नहीं है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रतिवादी/अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 188, 88 व 183 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर कथन किया कि प्रतिवादीगण ने आराजी खसरा नंबर 144 पर वाद के विचाराधीन रहते जबरन कब्जा काश्त कर लिया है । अतः वाद स्वीकार कर आराजी खसरा नंबर 144 से अप्रार्थीगण का अतिक्रमण जरिये पुलिस इमदाद के प्रतिवादी संख्या 6 के जरिये हटवाया जाकर खाली कब्जा वादी को दिलाया जावे । अधी0न्याया0 ने वादी का वाद निर्णय दिनांक 27.6.2018 को स्वीकार कर खसरा नंबर 144 से अपीलांट/प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा काश्त वादी को दिलाने की डिक्री पारित की है । अपील पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 66 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी के वर्तमान खसरा नंबर 144 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी बने है । ग्राम फतेहगढ़ तहसील मसूदा की जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 के अनुसार अन्य खसरा नंबरान के साथ खसरा नंबर 144 रकबा 3–5–10 बीघा भूमि सुखदेव वल्द पन्ना कौम खाती के नाम खातेदारी से दर्ज है । अपीलांट ने अपील के साथ विक्रय पत्र दिनांक 11.4.1974 की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सहायक कलक्टर ब्यावर, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 215/1994 की फोटो प्रतियां पेश की है । विक्रय पत्र दिनांक 11.4.1994 के अनुसार विवादित आराजियात साबिक खसरा नंबर 316 व 66 के

खातेदार वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के पिता पन्ना वल्द भूरा कौम खाती साकिन फतेहगढ़, तहसील ब्यावर (तत्समय) द्वारा विवादित आराजियात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.4.1974 द्वारा प्रतिफल के एवज में 1500/—रू0 में रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल जाट, निवासी फतेहगढ़ को बेचान की गई है । उक्त विक्रय पत्र में कब्जा व दखल केता को करा देने का भी अंकन है । इसी प्रकार सहायक कलक्टर, न्यायालय ब्यावर के न्यायालय में चले वाद संख्या 215/1994 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात बाबत् पूर्व में भी वादी सुखदेव एवं सोहनलाल द्वारा अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 के विरूद्ध बेदखली का वाद संख्या 215/1994 पेश किया गया था जो दिनांक 24.4.1994 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट का जवाब बंद किया गया था जिससे अपीलांट/प्रतिवादी अधी0न्याया0 के समक्ष उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका था। चूंकि अपील में विवादित आराजियात के संबंध में उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये है जो निर्णय के समय अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध नहीं थे । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के क्रम में हम अधी0न्याया0 द्वारा वाद का पुनः परीक्षण कराया जाना उचित समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.6.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे निर्णय में दिये गये विवेचन के क्रम में अपीलांट को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 3.12.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर